प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.08.23

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित तीन नफर अभियुक्तगण मय आला कत्ल तथा घटना मे प्रयुक्त दो गाडी सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 30.8.2023 को तहसील सदर गाजियाबाद परिसर मे श्री मोनू उर्फ मनोज चौधरी को उसके चैम्बर मे घुसकर उसके बहनोई अमित डागर व बहनोई के भाई नितिन डागर तथा उसके साथी द्वारा दिन दहाडे समय करीब 02.00 बजे गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया जिसके सम्बन्ध मे मृतक की पत्नी श्रीमती कविताचौधरी की तहरीर के आधार पर थाना सिहानीगेट पर मु0अ0सं0 547/2023 धारा 147/148/149/302/506/120बी भादवि पंजीकृत हुआ।

कमि0 गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना के अभियुक्तगण 1.अमित डागर पुत्र मदन सिंह 2. नितिन डागर पुत्र मदन सिंह नि0गण – ए 5 सैक्टर 5 चिरंजीवी विहार थाना कविनगर गाजियाबाद 3.अनुज उर्फ पालु पुत्र वेदपाल नि0-ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को हमदर्द ग्राउण्ड लोहियानगर के पास से समय करीब 08.30 बजे घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद तमंचा 315 बोर दो कारतूस जिंदा व एक खोका कारतूस तथा घटना मे प्रयुक्त गाडी ब्रैजा न0- UP14EB 6092 एंव एक सेन्ट्रो कार न0 UP13BQ5861 सहित गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान अभियुक्त अमित ने बताया कि जब से मेरी शादी हुई थी तभी से मेरा मेरी पत्नी सरिता चौधरी के साथ कई बार विवाद हुआ जिसको रिश्तेदार व जिम्मेदार लोगो द्वारा सुलझाया गया। मैने अपनी पत्नी के नाम एक मकान दुहाई जिसकी कीमत लगभग 80 से 90 लाख रूपये है व एक फ्लैट चिंरजीवी विहार जिसकी कीमत लगभग 50 से 60 लाख रूपये है करा दिया था। अब मेरी पत्नी काफी समय से अपने भाई मनोज के घर रह रही थी। हमारे बार बार बुलाने के बाद भी वह वापस नही आ रही थी। मेरी पत्नी सरिता चौधरी और मेरा साला मनोज मेरे दुहाई वाले घर व चिरंजीवी विहार वाले फ्लैट को बेचना चाहते थे काफी समझाने पर भी नही मान रहे थे तथा अपनी पत्नी व पुत्री को रक्षा बंधन के त्यौहार पर बार बार घर बुलाने पर भी आने से मना कर दिया था, जिसके कारण परेशान होकर हम लोगो ने मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. अमित डागर पुत्र मदन सिंह निवासी ए 5 सैक्टर 5 चिरंजीवी विहार थाना कविनगर कमि.गाजियाबाद
2. नितिन डागर पुत्र मदन सिंह निवासी ए 5 सैक्टर 5 चिरंजीवी विहार थाना कविनगर कमि.गाजियाबाद
3. अनुज उर्फ पालु पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम कमि.गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास--

1.अभि0 अमित डागर पुत्र मदन सिंह नि0- ए 5 सैक्टर 5 चिरंजीवी विहार थाना कविनगर कमि.गाजियाबाद

(a) मु0अ0स0 162/2010 धारा- 323/506/498(ए) भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना कविनगर कमि.गाजियाबाद

(b) मु0अ0सं0 0438/2018 धारा 323/325/427/452/504/506 भादवि थाना मुराद नगर कमि. गाजियाबाद

(c) मु0अ0सं0 0047/2023 धारा 307/504/506 भादवि व 3/27 आर्म्स एक्ट थाना थाना कविनगर कमि. गाजियाबाद

(d) मु0अ0सं0 0547/2023 धारा 147/148/149/302/506/120B भादवि थाना सिहानीगेट कमि. गाजियाबाद

2. नितिन डागर पुत्र मदन सिंह नि0- ए 5 सैक्टर 5 चिरंजीवी विहार थाना कविनगर कमि.गाजियाबाद।

(a) मु0अ0स0 162/2010 धारा- 323/506/498(ए) भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना कविनगर कमि.गाजियाबाद

(b) मु0अ0सं0 0438/2018 धारा 323/325/427/452/504/506 भादवि थाना मुराद नगर कमि. गाजियाबाद

(c) मु0अ0सं0 0547/2023 धारा 147/148/149/302/506/120B भादवि थाना सिहानीगेट कमि.गाजियाबाद

3.अनुज उर्फ पालु पुत्र वेदपाल नि0- ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम कमि.गाजियाबाद।

(a) मु0अ0सं0 0547/2023 धारा 147/148/149/302/506/120B भादवि थाना सिहानीगेट कमि. गाजियाबाद

(अनुज उर्फ पालू को शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु वर्ष 2023 में थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गाजियाबाद से अंतर्गत धारा 107/116 सीआरपीसी से पाबंद किया गया था।)

बरामदगी

1.हत्या मे प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर दो कारतूस जिंदा व एक खोका कारतूस

2.घटना मे प्रयुक्त गाडी ब्रैजा न0- UP14EB 6092

3.घटना मे प्रयुक्त एक सेन्ट्रो कार न0- UP13BQ5861

गिरफ्तार करने वाली टीम

डी0सी0पी0 सिटी स्वाट टीम, कोतवाली सिहानीगेट की टीम, एवं क्राइम ब्रांच टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस टीम द्वारा बंद घरों में चोरी करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से 02 वाशिंग मशीन बरामद

दिनांक 29/08/23 को वादी पियूष कुमार झा पुत्र आनन्द झा निवासी S1-165 द्वारा थाना मधुबन बपुधाम पर सूचना दी गई कि उनके घर से वाशिंग मशीन चोरी हो गई है। इस संबंध मे थाना मधुबन बापुधाम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना के आनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक को 30.08.23 को अभियुक्त अमन व मनीष को पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि अपने शौक पूरा करने के लिए हम दोनो घरों में घुसकर चोरी करते है तथा चोरी किये गये सामान को हम कबाडियो को बेच देते है और जो पैसे मिलते उन्हे हम आपस में बांट लेते है। ग़लती हो गयी साहब माफ़ कर दो।

नाम पता अभियुक्त –

1. अमन पुत्र अनिल निवासी ई-10, एल आई जी थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाज़ियाबाद उम्र-21

2. मनीष पुत्र कूलदीप निवासी सदरपुर थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण

1. अभियुक्त अमन के विरुद्ध थाना सिहानीगेट पर 02 मुकदमे चोरी के, थाना मोदीनगर में 01 मुकदमा चोरी का, थाना मधुबन बापूधाम पर 01 मुकदमा चोरी का कुल 04 मुकदमे पंजीकृत है।
2. अभियुक्त मनीष के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर 01 मुकदमा चोरी क पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

02 वाशिंग मशीन

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।